

# उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज  
 बनाम सुजना बनाम बदले  
 मु. सं. 139/17

नम्बर व तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुक्म की तामील  
 में जारी हुए

दिनांक 11-05-2018

आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प  
 रीदली पेश हुई। सायला स्वयं उपस्थित। सायला का  
 वाद डिक्री हो चुका है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई  
 निषेधाज्ञा प्रभावहीन हो चुका है। अतः सायला का  
 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।  
 पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
 महवा (जिला दौसा)  
 कैम्प-रीदली

डा वकील  
 सं 7  
 पल नष्ट हो  
 रिया रिम  
 दि 8-3-18

वकील  
 व कि.

डा वकील  
 नबाव दि